संख्याः– /पॉच–5/2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर एवं
जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
(लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/आगरा/गाजियाबाद/मुरादाबाद/वाराणसी/
लखीमपुरखीरी/बरेली/आजमगढ़/कानपुर/मेरठ/प्रयागराज/गोरखपुर/
अलीगढ़/सहारनपुर)

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः मार्च, 2020

विषयः COVID-19 महामारी के दृष्टिगत दिनांक 23 से 25 मार्च 2020 तक पूर्ण रूप से लॉक डाउन करने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि COVID-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुये उसके प्रभाव एवं प्रसार को रोकने हेतु उपरोक्त जनपदों में दिनांक 23 से 25 मार्च, 2020 तक पूर्ण रूप से लॉक डाउन करने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में निम्नलिखित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगाः–

1. इस अवधि में सभी नागरिक आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अपने अपने घरों में रहेंगे।
2. सार्वजनिक परिवहन पूर्ण रूपेण निषिद्ध रहेगा (आपातकालीन/आवश्यक सेवाओं को छोड़कर)
3. सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकानें, शैक्षणिक संस्थान, निजी प्रतिष्ठान, रेस्टोरेन्ट/होटल आदि पूर्ण रूप से बन्द रहेंगे।
4. अन्तर्राज्यीय परिवहन भी बन्द रहेंगे।
5. विदेश एवं बाहर से आने वाले यात्रियों/व्यक्तियों की निगरानी की जायेगी और उन्हें **Home quarantine** में रखना सुनिश्चित करेंगे।
6. इस अवधि में नागरिकगण Social distancing गाइड लाइन का पालन करेंगे एवं केवल अत्यावश्यक एवं मूलभूत जरूरतों/सेवाओं हेतु ही बाहर निकल सकेंगे।
7 टैक्सी, आटो–रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की अनुमति नहीं दी जायेगी परन्तु

8. सभी दुकाने, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कार्यालय और कारखाने, कार्यशालायें, गोदाम आदि बंद रहेंगे।

9. आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने वाले निजी क्षेत्रों सहित निम्नलिखित प्रतिष्ठानों/सेवाओं को उपरोक्त प्रतिबन्धों से बाहर रखा जायेगा :-

9(1) अपवादस्वरूप अस्पतालों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, टर्मिनलों, खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले मालवाहक के सभी प्रकार के परिवहन को छूट रहेगी।

9(2)कानून और व्यवस्था, न्याय और सुधार सेवाएं।

9(3) स्वास्थ्य सेवाएं

9(4) पुलिस, सशस्त्र बल और अर्द्ध सैन्य बल

9(5) बिजली, पानी से सम्बन्धित कार्यालय एवं बिलिंग सेंटर 5(5) अग्नि, नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं

9(6) दवा की दुकान, किराने का सामान, होम डिलीवरी का ई-कामर्स।

9(7) दैनिक वस्तुओं की आपूर्ति

9(8) ताजे फल एवं सब्जियों की आपूर्ति एवं पेय पदार्थो की आपूर्ति

9(9) पशुओं के लिये चारे की आपूर्ति

9(10)खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित इकाईयॉ

9(11) पेट्रोल पम्प/सी.एन.जी./ गैस एजेन्सीज

9(12) दुग्ध/डेयरी प्लाण्ट्स

9(13) स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणों के निर्माण से सम्बन्धित इकाईयॉ

9(14) दूर संचार सेवा प्रदाता एवं अन्य संचार सेवायें

9(15) बीमा कम्पनियॉ

9(16) बैंक एवं ए0टी0एम0

9(17) पोस्ट ऑफिस

9(18) खाद्दयान्न(गेहूॅ/चावल) से सम्बन्धित आवागमन

9(19) आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं से सम्बन्धित सेवायें एवं तत्सम्बन्धित आनुषंगिक कार्य।

10. सार्वजनिक स्थानों पर 05 से अधिक व्यक्तियों की कोई भी मण्डली निषिद्ध होगी।

11. उपरोक्त जनपदों में एक ही स्थान पर समूह में एकत्रित होने से रोकने के सम्बन्ध में कानूनी प्राविधानों यथा धारा-144 द.प्र.स. आदि के अनुसार कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

12 यदि कोई संदेह है कि कोई प्रतिष्ठान/सेवा आवश्यक है या नहीं तो जिला मजिस्ट्रेट/नगर आयुक्त निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

13. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त, नगर आयुक्त, एसएसपी/एसपी, एसडीम, सीएमओ, एसडीओ, बीडीओ और कार्यकारी मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त निर्देशों के प्रवर्तन और कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक

उपाय करने के लिए अधिकृत होंगे। सभी स्थानीय पुलिस अधिकारी उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और आवश्यक सहायत का विस्तार करेंगे।

14 इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया कोई भी व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 (1860 का 45) के तहत दण्डनीय अपराध माना जायेगा।

15. पूर्व में जारी किये अन्य निर्देश लागू रहेंगे।

16. किसी भी सामाजिक /सांस्कृतिक /राजनीतिक /धार्मिक/ शैक्षणिक /खेल/ संगोष्ठी/सम्मेलन का आयोजन निषिद्ध रहेगा।

17. साप्ताहिक बाजारों का संगठन (सब्जियों, फलों और आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर) संगीत, प्रदर्शिनियों आदि को निषिद्ध किया जाता है।

18.विभिन्न निजी टूर ऑपरेटरों द्वारा संचालित निर्देशित समूह पर्यटन निषिद्ध होंगे।

19.कोई भी व्यक्ति जो COVID-19 के साथ संदिग्ध/पुष्टि करता है, वह रोकथाम/उपचार के लिए उपाय करेगा अर्थात घर संगरोध/संस्थान संगरोध/अलगाव या ऐसा कोई भी व्यक्ति रेण्डर सहायता का सहयोग करेगा या निगरानी कर्मियों के निर्देशों का पालन करेगा।

20.उपरोक्त जनपद समस्त सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई (Sanitization) का व्यापक प्रबन्ध करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

संख्याः एवं दिनाक उपरोक्त

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,उ0प्र0

आज्ञा से,

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव, गृह
उत्तर प्रदेश शासन।